आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1640

अमन चौधरी से पहले, जे.

जी. ई. टी. ए. याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता 2018 का सी. आर. एम.-एम. सं. 47380

06 सितंबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 82, 482-भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 174-ए-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-धारा 138-एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत वापस ली गई-धारा 174-ए आई. पी. सी. के तहत अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती-धारा 174-ए आई. पी. सी. के तहत एफ. आई. आर. सभी परिणामी कार्यवाही के साथ रद्द कर दी गई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दायर की गई शिकायत को ही वापस ले लिया गया है, शिकायतकर्ता के इस बयान के आधार पर कि उसने आरोपी के साथ मामले को सुलझा लिया था और मुरली झा के मामले (उपरोक्त) के मामले में फैसले को ध्यान में रखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 174-ए के तहत गुरुग्राम जिले के पुलिस स्टेशन सिटी में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है, जो उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही के साथ-साथ आई. डी. 1,000/- की लागत के भुगतान के अधीन है। पी. जी. आई. एम. ई. आर., चंडीगढ़ में गरीब रोगी कल्याण कोष।

याचिकाकर्ता। अदिति गिरधर, एएजी, हरियाणा।

अमन चौधरी, जे. (मौखिक) सी. आर. एम.-32235-2022

(1) प्रार्थना के अनुसार आवेदन की अनुमति है।

मुख्य मामला (3) वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 174-ए के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है, जो पुलिस स्टेशन गीता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में दर्ज है।

1641

( अमन चौधरी, जे.)

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान संलग्नक पी-6 की ओर आकर्षित किया, जो कि दिनांक 03.06.2016 का आदेश है, जिसे विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुड़गांव द्वारा पारित किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा एक अलग बयान दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार, उसने याचिकाकर्ता के साथ मामले को सुलझा लिया था और शिकायत के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता था और शिकायत को वापस लेने का अनुरोध किया था। तदनुसार, शिकायत को वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया। (6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस न्यायालय की विभिन्न समन्वित पीठों के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क देते हैं कि तथ्यों और परिस्थितियों के समान समूह में जिसमें आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1642

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दायर शिकायत को ही वापस ले लिया गया है, आई. पी. सी. की धारा 174-ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए रद्द कर दिया गया हैः -

3. राम कुमार राणा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 3। 4. अशोक मदान बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 4।

(7) गति की सूचना।

(8) अदालत के कहने पर, श्री मणिपाल सिंह अटवाल, डी. ए. जी., पंजाब, प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और मामले के समझौते के तथ्य की पुष्टि करते हैं। (9) मुरली झा के मामले (ऊपर) में एक समन्वित पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः -

“8. मैंने दलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है। एफ. आई. आर. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में याचिकाकर्ता को एक घोषित व्यक्ति घोषित करने के आदेश का परिणाम है, जिसका निपटारा हो गया है, शिकायत वापस ले ली गई है और आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को हटा दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में आई. पी. सी. की धारा 174-ए के तहत अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस कनेक्टीन में माइक्रोक्वाल में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है। टेक्नो आर. सी. आर. (आपराधिक) 790; रजनीश खन्ना बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा, 2017 (3) एल. ए. आर. 555 और 2020 का सी. आर. एम.-एम.-32612, सुरेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य और दूसरे ने 12.01.2021 पर निर्णय लिया। ”

3 2022(1) आर. सी. आर (सी. आर. एल.) 294

4 2020(4) आर. आर. (क्रोरल.) 87 गीता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

1643

( अमन चौधरी, जे.)

शिकायतकर्ता का यह बयान कि उसने आरोपी के साथ मामले को सुलझा लिया था और मुरली झा के मामले (उपरोक्त) के मामले में फैसले को देखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 174-ए के तहत प्राथमिकी (आई. डी. 2), पुलिस स्टेशन सिटी गुरुग्राम, जिला गुरुग्राम में दर्ज की गई है और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है, बशर्ते कि पी. जी. आई. एम. ई. आर., चंडीगढ़ में गरीब रोगियों के कल्याण कोष में जमा किए जाने वाले (आई. डी. 1), 000/- के खर्च का भुगतान किया जाए।

(11) निकाल दिया गया।

दिव्या गुर्ने